सं. एस-19/1/2007-डीसीएच/ई-II
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय
www.handlooms.nic.in

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 11 सितंबर, 2007

सेवा में,

1. राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के हथकरघा प्रभारी सभी सचिव ।
2. बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यू एस सी) के प्रभारी सभी अधिकारी ।
3. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) के सभी निदेशक

विषय:- विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

हथकरघा क्षेत्र देश की सम्पन्नतम और सर्वाधिक प्रगतिशील धरोहरों में से एक है । अतिरिक्त रोजगार और आर्थिक लाभों का सृजन करने की संभावना का दोहन करने के लिए बुनकरों, रंगरेजों तथा छपाईकारों की कुशलता में निरंतर सुधार, मशीनों, उपस्करों और विनिर्माण प्रक्रिया के उन्नयन तथा बाजार मांग के अनुरूप उत्पादों के डिजाइनों और गुणवत्ता में सुधार की सतत आधार पर जरूरत होती है । हथकरघा बुनकरों और कामगारों को इन पहलुओं से संबंधित सूचना का प्रसार भी अनिवार्य है ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संघटकों के साथ विविधीकृत हथकरघा विकास योजना तैयार की गई है :-

क्र.सं.	**संघटक**
(1)	बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
(2)	राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)
(3)	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)
(4)	जम्मू-कश्मीर ऊन परियोजना
(5)	बुनकर सेवा केन्द्र (जम्मू और कश्मीर)
(6)	केन्द्र/राज्य क्षेत्र में नए डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी की स्थापना
(7)	तीसरी संगणना करना और हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करना

इस योजना में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा प्रदर्शनियों, डिजाइन विकास, परंपरागत डिजाइनों के प्रलेखन के जरिए और उत्पादकता को बढ़ाने तथा बाजारी अपेक्षाओं को पूरा करने में बुनकरों को समर्थ बनाने हेतु हथकरघा क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के बीच संपर्क की

व्यवस्था कर हथकरघा बुनकरों की कुशलता के उन्नयन का प्रावधान होगा । प्रत्येक संघटक के संबंध में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है ।

आपसे अनुरोध है कि योजना में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आपके राज्य में स्थित बुनकर सेवा केन्द्रों/बुनकर सेवा केंद्रों के क्षेत्रीय निदेशक के परामर्श से आपके राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिए जाएं ।

इसे अनौ.सं. 14(6)/पीएफ.II/2007, दिनांक 6.8.2007, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(बी.के.सिन्हा)
विकास आयुक्त, हथकरघा

प्रतिलिपि:

1. एडीसी (डीएसजी)/एडीसी (एसकेजे)/एडीसी (एमएसके)/जेडीसी (एमएन)/डीडीसी(एमजे) ।
2. विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में सभी सहायक निदेशक ।
3. आईएफडब्ल्यू (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय ।
4. विकास आयुक्त (हथकरघा) के निजी सचिव, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
5. गार्ड फाइल
6. सुविधा केन्द्र के लिए 50 प्रतियां ।
7. यह योजना वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए एनआईसी को फ्लापी सहित एक प्रति ।

ह0/-
(बी.के.सिन्हा)
विकास आयुक्त, हथकरघा

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय
***

विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना:

हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संपन्नतम तथा सर्वाधिक प्रगतिशील पहलू है । हथकरघा वस्त्रों में हासिल की गई कारीगरी और कसीदाकारी भी अद्‌भुत है । इस क्षेत्र से अतिरिक्त रोजगार तथा आर्थिक लाभों के सृजन की संभावना का दोहन करने के लिए अनिवार्य अपेक्षा एवं हथकरघा बुनकरों और रंगरेजों की कुशलता में सतत सुधार करना, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मशीनों एवं उपस्करों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं का उन्नयन, बाजार मांग के अनुरूप उत्पादों की डिजाइनों तथा गुणवत्ता का विकास करना और हथकरघा बुनकरों तथा कामगारों को इन पहलुओं से संबंधित सूचना का प्रसार करना हैं ।

2. योजना का उद्देश्य:

विविधीकृत हथकरघा विकास योजना में अनेक कार्यक्रमों के जरिए प्राद्योगिकी उन्नयन का प्रावधान है जिसमें बुनकरों की कुशलता का उन्नयन, डिजाइन विकास तथा बाजार मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास और हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता तथा आय में सुधार शामिल है । योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

(i) डिजाइन विकास तथा प्रौद्योगिकी और प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए बुनकरों को इसके प्रसार में बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यू एस सी) के कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण,

(ii) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) की अवसंरचना में सुधार करना ताकि उन्हें आधुनिक सुविधाओं, उपस्कर तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ निष्पादन मानकों का संवर्धन करने में सक्षम बनाया जा सके ।

(iii) हथकरघा उद्योग की तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए बुनकर सेवा केन्द्र तथा आईआईएचटी की स्थापना करना जिसके द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें ।

(iv) बुनकर सेवा केन्द्र तथा आईआईएचटी के कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करना ताकि उन्हें तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी, उत्पादनों की तकनीकों, बाजार रूझान विश्लेषण, सीएडी प्रणाली के उपयोग से डिजाइन विकास आदि की जानकारी प्रदान की जा सके ।

(v) पारंपरिक एवं सम-सामयिक डिजाइनों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र के कार्यकलापों का संचालन करना ताकि वस्त्र उद्योग, खासकर हथकरघा क्षेत्र तेजी से बदल रही बाजार मांग को पूरा कर सके ।

(vi) तीसरी हथकरघा संबंधी गणना करना ताकि सही ढंग से इस क्षेत्र के आंकड़ा आधार को अद्यतन किया जा सके और हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ अधिक उपयोगी तथा कारगर योजनाएं सुगमता से तैयार की जा सकें ।

(vii) हथकरघा बुनकरों को विभिन्न लाभों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए बुनकरों तथा मास्टर बुनकरों के अभिज्ञान, पंजीकरण एवं प्रमाणन हेतु एक अभियान चलाए जाने की जरूरत है । हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हथकरघा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक बुनकरों को ही मिलते हैं ।

3. संघटक

योजना में निम्नलिखित संघटक शामिल हैं:-

क्र.सं.	संघटक
3.1	बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
3.2	राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)
3.3	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)
3.4	जम्मू-कश्मीर ऊन परियोजना
3.5	बुनकर सेवा केन्द्र (जम्मू और कश्मीर)
3.6	केन्द्रीय क्षेत्र में नए डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी की स्थापना
3.7	तीसरी हथकरघा संगणना करना और हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करना

3.1 बुनकर सेवा केन्द्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का सुदृढ़ीकरण:

हथकरघा क्षेत्र को विद्युतकरघा एवं मिल क्षेत्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है । अत: जब तक आवश्यक तकनीकी निविष्टियों के जरिए इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है, तब तक प्रतिस्पर्धा के कारण इसके अस्तित्व को बनाए रखना कठिन होगा । अत: बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यूएससी) तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) को सुदृढ़ करना आवश्यक है ।

हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों की कुशलता का उन्नयन करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने में इस समय 25 डब्ल्यूएससी तथा 4 आईआईएचटी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है । ये अनेक नई डिजाइनें तैयार करने तथा पारंपरिक डिजाइनों को जीवित रखने में भी प्रासंगिक रहे हैं । डब्ल्यूएससी द्वारा प्राथमिक रूप से विस्तार सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें बुनकरों को उनके कार्य स्थल पर डिजाइन संबंधी निविष्टियों, कुशलता तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल होता है । आईआईएचटी के

कार्यकलाप मुख्यत: हथकरघा क्षेत्र के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार कर उसे उपलब्ध कराना और हथकरघा उद्योग के सभी पहलुओं पर प्रायोगिक तथा अनुसंधान कार्यक्रम चलाना है ।

डब्ल्यूएससी तथा आईआईएचटी के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे :

(i) डिजाइन प्रदर्शनी-सह-रंगाई कार्यशालाएं;
(ii) केन्द्रीय क्षेत्र में बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना;
(iii) डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी के लिए अवसंरचना;
(iv) राज्य क्षेत्र में डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता;
(v) आईआईएचटी, जोधपुर को जारी रखना;
(vi) डब्ल्यू एस सी/आईआईएचटी में कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

3.1.1 डिजाइन प्रदर्शनी-सह-रंगाई कार्यशाला

यह संघटक "लैब टू लैंड" अवधारणा पर आधारित है और इसे दूर-दराज के स्थानों पर भी तकनीकी सूचना का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है । बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा वर्ष 1995-96 से रंगाई-सह-डिजाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया । हथकरघा बुनकरों में इन कार्यशालाओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं योजना के दौरान इस कार्यकलाप को जारी रखने का निर्णय लिया गया है । बुनकरों के कार्य स्थलों पर वस्त्र डिजाइनें उपलब्ध कराने के अलावा रंगाई की उन्नत तकनीकों के संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार हेतु डब्ल्यू एस सी द्वारा ये कार्यशालाएं हथकरघा समूहों में आयोजित की जाएंगी । प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 2-3 दिन की है । प्रत्येक कार्यक्रम पर प्रत्याशित व्यय 10,000/-रू. है और प्रत्येक कार्यशाला में लगभग 100 लाभानुभोगी शामिल होंगे । प्रत्येक वर्ष ऐसी 250 कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य है । मद-वार वित्तीय ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(क)	अवसंरचना संबंधी व्यवस्था (कुर्सियों, मेजों तथा तम्बू आदि को किराए पर लेना)	3000.00 रूपए
(ख)	डिजाइनों तथा वस्त्र नमूनों की प्रस्तुति/प्रदर्शन	1500.00 रूपए
(ग)	कला सामग्री, धागों, फैब्रिक्स, डिजाइन, रंगाई एवं छपाई हेतु रंगों तथा रसायनों जैसी कच्ची सामग्री की खरीद	2000.00 रूपए
(घ)	प्रचार (निमंत्रण पत्र, बैनर, पुस्तिकाएं, हैंड बिल आदि)	1000.00 रूपए
(ङ)	प्रशिक्षुओं के लिए जलपान 10/-रू. प्रति प्रशिक्षु की दर से	1000.00 रूपए
(च)	परिवहन (प्रदर्शन सामग्री ले जाने के लिए टैक्सी/जीप को किराए पर लेना)	1000.00 रूपए
(छ)	विविध	500.00 रूपए
	योग	**10,000.00**

पात्र लाभानुभोगी : हथकरघा बुनकर

कार्यान्यन एजेंसी : कार्यान्वयन एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से बुनकर सेवा केन्द्र हैं ।

वित्तपोषण की पद्धति: यह संघटक केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित होगा ।

3.12 केन्द्रीय क्षेत्र में बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना

इस संघटक में भारत सरकार द्वारा नए बुनकर सेवा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है । ग्यारहवीं योजना के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्य दल ने हथकरघा बहुल तथा नवगठित राज्यों की ओर से भारी मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ और बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की थी । 11वीं योजना के दौरान अतिरिक्त डब्ल्यू एस सी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

केन्द्रीय क्षेत्र में एक डब्ल्यूएससी की स्थापना और पांच वर्ष तक उसके प्रचालन की लागत निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार लगभग 7.71 करोड़ रू. आने का अनुमान है :

क्र.सं.	मद	प्रावधान
क	**अवसंरचना (अनावर्ती)**	
(i)	भूमि	राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जानी है ।
(ii)	पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण हेतु 500.00 लाख रू.
(iii)	फर्नीचर एवं जुड़नार	5.00 लाख रू.
(iv)	सीएडी/सीएम/कंप्यूटर/जांच उपस्कर सहित मशीनें एवं उपस्कर	15.00 लाख रू.
	उप-जोड़, अनावर्ती (क)	520.00 लाख रू.
ख	**आवर्ती व्यय (कर्मचारियों के वेतन आदि पर)**	
(i)	नीचे 3.1.4 (ख) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 29 पदों के लिए वेतन संबंधी प्रावधान	35.00 लाख रू.
(ii)	ओटीए, टीए, ओई, लघु कार्य, आरआरटी, वजीफा आदि जैसे अन्य व्यय	15.20 लाख रू.
	उप-जोड़, आवर्ती (ख)	50.20 लाख रू. प्रति वर्ष अर्थात **251.00 लाख रू. 5 वर्ष तक**
	महायोग (क + ख)	771 लाख रू. 5 वर्ष तक

3.1.3 बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए अवसंरचना

मौजूदा 25 डब्ल्यूएससी में से 10 डब्ल्यू एस सी किराए पर लिए गए निजी भवनों में प्रचालन कर रहे हैं । कार्य हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने तथा किराए पर होने वाले भारी व्यय को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे डब्ल्यू एस सी को अपने खुद के भवनों में स्थापित किया जाए डब्ल्यूएससी के लिए भूमि के आबंटन और कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वाटरों के निर्माण जैसे कार्यकलाप 11वीं योजना के दौरान शुरू किए जाएंगे ।

डब्ल्यूएससी चमोली, पानीपत, कुन्नूर, कोलकाता तथा इम्फाल के नए भवनों के निर्माण तथा आईआईएचटी वाराणसी एवं जोधपुर के विस्तार पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है । अन्य डब्ल्यू एस सी तथा आईआईएचटी के भवनों के निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार पर भी व्यय किया जाएगा । इसमें किराए के भवनों में कार्यरत डब्ल्यूएससी के लिए भूमि की खरीद की लागत भी शामिल है ।

कार्यान्वयन एजेंसियां : इस संघटक का कार्यान्वयन विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पर्यवेक्षण में डब्ल्यू एस सी/आईआईएचटी द्वारा किया जाएगा ।

वित्तपोषण की पद्धति: इस संघटक का संपूर्ण वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा ।

3.1.4 राज्य क्षेत्र में बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यू एस सी)/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में डब्ल्यू एस सी/आईआईएचटी की स्थापना किए जाने के बारे में समय-समय पर प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए राज्य सरकारों को एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार ने Xवीं योजना के दौरान एक स्कीम तैयार की थी । ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

3.1.4 (क) राज्य क्षेत्र में आईआईएचटी की स्थापना

राज्य क्षेत्र में आईआईएचटी खोलने के लिए भारत सरकार नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार राज्य सरकार को एकबारगी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी :

(क) **चल रही परियोजना के लिए** :- 10वीं योजना के दौरान आईआईएचटी, चम्पा (छत्तीसगढ़) की स्थापना को अनुमोदित किया गया था । आईआईएचटी की स्थापना हेतु 10वीं योजना के दौरान डीडीटीपी के विद्यमान मानदंडों के अनुसार अनावर्ती संघटक पर एक बारगी केन्द्रीय वित्तीय सहायता 1.05 करोड़ रू. तक सीमित है और शेष व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	संघटक	केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत	राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत
अनावर्ती व्यय			
1	भूमि	-	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है ।
2	भवन	-	0.90 करोड़ रूपए
3	फर्नीचर, जुड़नार, कार्यालय मशीनें, स्टाफ कार, बस, उपस्कर आदि (केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 70:30 के आधार पर हिस्सेदारी की जानी है)	1.05 करोड़ रूपए	0.45 करोड़ रूपए
आवर्ती व्यय			
4	कर्मचारियों का वेतन, छात्रों के लिए वजीफा, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, कच्ची सामग्री आदि		0.70 करोड़ रू. प्रति वर्ष

(ख) **नए प्रस्तावों के लिए :-** राज्य क्षेत्र में नए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 4.28 करोड़ रू. का एकबारगी केन्द्रीय अनुदान अर्थात 10.69 करोड़ रू. की अनावर्ती लागत का 40% उपलब्ध कराया जाएगा । 10.69 करोड़ रू. का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1.	भूमि एवं भवन	9.09 करोड़ रू.
2.	फर्नीचर एवं जुड़नार, जिरोक्स मशीन की लागत	0.40 करोड़ रू.
3.	स्टाफ कार, संस्थान की बस	0.20 करोड़ रू.
4.	मशीनों एवं उपस्करों की खरीद	1.00 करोड़ रू.
	योग	**10.69 करोड़ रूपए**

आईआईएचटी की स्थापना हेतु विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध- I में दिए गए हैं ।

कार्यान्वयन एजेंसी : कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार होगी जो विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आईआईएचटी की स्थापना करेगी ।

3.1.4 (ख) राज्य क्षेत्र में बुनकर सेवा केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता:-

इस संघटक में बुनकर बहुल क्षेत्रों में डब्ल्यू एस सी की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को एक बारगी केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है ।

एक डब्ल्यू एस सी की स्थापना और पांच वर्ष उसके प्रचालन की लागत 7.71 करोड़ रू. आने का अनुमान है । राज्य क्षेत्र में डब्ल्यू एस सी की स्थापना हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 208.00 लाख रू. अर्थात 520.00 लाख रू. की कुल अनावर्ती लागत के 40% का एक बारगी अनुदान प्रदान किया जाएगा :

	अनावर्ती व्यय	
1	भूमि	राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जानी है ।
2	पूंजीगत व्यय	प्रशासनिक एवं तकनीकी खंडों तथा स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 500.00 लाख रू.
3	फर्नीचर एवं जुड़नार	5.00 लाख रू.
4	मशीनें एवं उपकरण (सीएडी/कंप्यूटर/जांच उपस्कर आदि सहित)	15.00 लाख रू.
	कुल	**520.00 लाख रू.**
	आवर्ती व्यय	
1	वेतन (प्रति वर्ष)	35.00 लाख रू.
2	मजदूरी, ओटीए, यात्रा, कार्यालय व्यय, लघु कार्य, किराया दरों तथा करों, वजीफे आदि पर अन्य व्यय (प्रति वर्ष)	15.20 लाख रू.
	कुल	50.20 लाख रू. प्रति वर्ष **(251.00 लाख रू. 5 वर्ष तक)**

कार्यान्वयन एजेंसी : इस संघटक का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

राज्य क्षेत्र में डब्ल्यू एस सी की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश अनुबंध-II में दिए गए हैं ।

3.1.5 आईआईएचटी, जोधपुर को जारी रखना

राजस्थान और उससे सटे राज्यों के हथकरघा उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए वर्ष 1993 में जोधपुर (राजस्थान) में एक आईआईएचटी की स्थापना की गई थी । यह

निर्णय लिया गया है कि वेतन, मजदूरी, छात्रवृत्ति/वजीफे, यात्रा व्यय, मशीनों एवं उपकरणों तथा कार्यालय संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान भी आई आई एच टी, जोधपुर को सहायता प्रदान की जाए ।

आईआईएचटी, जोधपुर योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 तक ही जारी रहेगा तत्पश्चात समूचे व्यय की पूर्ति गैर-योजना से की जाएगी ।

3.1.6 डब्ल्यू एस सी/आईआईएचटी में कार्मिकों का प्रशिक्षण

प्रौद्योगिकी के विकास और मुक्त अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों तथा फैशन एवं डिजाइन की प्रवृत्तियों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए डब्ल्यू एस सी/आईआईएचटी के कार्मिकों को उत्पादन की आधुनिक तकनीकों, बाजारी प्रवृत्ति के विश्लेषण, लागत विश्लेषण तथा कंप्यूटर एवं सीएडी प्रणाली के उपयोग से डिजाइन विकास में प्रशिक्षित करने की जरूरत है । इस संघटक में ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के संस्थानों के चुनिंदा पाठ्यक्रमों में डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी के कार्मिकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है ।

3.2 राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एन सी टी डी)

पारंपरिक एवं सम-सामयिक डिजाइनों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय डिजाइन केन्द्र) की स्थापना वर्ष 2001 में की गई है ताकि उन्हें तेजी से बदल रही बाजार मांग के अनुरूप बनाया जा सके जिसके द्वारा सामान्यत: वस्त्र उद्योग और विशेषत: हथकरघा क्षेत्र को वृद्धि के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें ।

एनसीटीडी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

1. वस्त्र उद्योग के लिए डिजाइनगत निविष्टियों, डिजाइन संबंधी मार्गदर्शन तथा विनिर्देशनों के सुगम प्रवाह हेतु वस्त्र उद्योग, डिजाइनरों, परिधान विनिर्माताओं, हथकरघा बुनकरों तथा अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों के विक्रेताओं के सभी वर्गों के बीच विचार-विनिमय हेतु एक मंच उपलब्ध कराना ।

2. बुनकर सेवा केन्द्रों, केन्द्रों के स्वयं के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों, प्रदर्शनियों से खरीदी गई तथा बाजार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई डिजाइनों के संकलन के एक केन्द्रीकृत पूल की स्थापना करना, चलाना और उसका रख-रखाव करना, प्रत्येक डिजाइन को तकनीकी रूप से प्रलेखित करना और मांग किए जाने पर ये डिजाइनें प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराना ।

एन सी टी डी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निम्नलिखित ऑन-लाइन तथा ऑफ-लाइन कार्यकलापों के जरिए प्राप्त किया जाएगा :

ऑन-लाइन कार्यकलापों में (i) प्रवृत्तियां एवं रंग संबंधी पूर्वानुमान, (ii) डिजाइन पूल, (iii) डिजाइनरों का पैनल, (iv) वस्त्र से जुड़ी वेबसाइटों के साथ संबंध, (v) भारतीय वस्त्र, (vi) उद्योग एवं येलो पेजों से संबंधी आंकड़ा आधार, (VII) पुरातन वस्त्रों का वास्तविक संग्रहालय शामिल है ।

ऑफ-लाइन कार्यकलापों में (i) बेहतर प्रदर्शन एवं दृष्टिगोचरता हेतु सतत आधार पर विशेष मूल विषय पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा (ii) पेटेंट, कापी राइट, गैर-टैरिफ बाधाओं, पाटनरोधी आदि के क्षेत्र में सेवा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना शामिल होगा । इस संबंध में साइट सुरक्षा तथा पासवर्ड संरक्षण आदि जैसे आईटी क्षेत्र में नव निर्मित कानूनों और प्रक्रियाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी ।

11वीं योजना के दौरान एनसीटीडी के कार्यकलाप सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रित होंगे । प्रमुख व्यय निम्नलिखित पर किया जाएगा :-

1. वेबसाइट का उन्नयन;
2. वेबसाइट का प्रचार;
3. डिजाइन संबंधी प्रवृत्तियां एवं रंग संबंधी पूर्वानुमान प्राप्त करना;
4. मूल विषय आधारित नमूना/यार्ड विकास;
5. सतत आधार पर मूल विषय आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन;
6. प्रदर्शनी का प्रचार;
7. केन्द्र के रख-रखाव से संबंधित आवर्ती लागत आदि ।

3.3 अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

इस संघटक में अनुसंधान, सर्वेक्षण, डिजाइन प्रलेखन तथा विकास, तकनीकी सुधार/विकास, डिजाइन अथवा तकनीकी विकास हेतु कंप्यूटर आदि जैसे उपकरण उपलब्ध कराने, हथकरघा संबंधी उत्पादों के विकास हेतु कार्यनीतियां/उपाय तैयार करने, गुणवत्ता उन्नयन, विपणन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनारों आदि के जरिए सूचना के प्रसार हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है । खोजी कार्य, अनुभव सिद्ध कार्यों आदि तथा क्षेत्र के संगठनात्मक पहलुओं से संबंधित अनुसंधान के जरिए हथकरघा क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के बारे में कोई अन्य प्रस्ताव ।

सहायता के लिए पात्र संगठन:

अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत सहायता बुनकर संगठनों: किसी भी सांविधिक अधिनियम (कंपनी अधिनियम आदि) के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों, योजना के

कारगर कार्यान्वयन हेतु मूलभूत अवसंरचना रखने वाले आईआईएचटी तथा डब्ल्यू एस सी सहित विश्वविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों को प्रदान की जा सकेगी ।

3.4 जम्मू-कश्मीर ऊन विकास परियोजना :

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज" के तहत जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिए हथकरघा क्षेत्र से संबंधित "इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट आफ वूल एंड वूलन डिजाइन एंड डिवेलपमेंट सेंटर" नामक विशेष विकास परियोजना अनुमोदित की गई थी ।

इस परियोजना में विपणन एवं बाजार अनुसंधान सहित तकनीकी सहायता, उत्पाद मानकीकरण, सामग्री की जांच, डिजाइन विकास, बुनाई पश्चात प्रक्रियाओं, कार्मिकों के प्रशिक्षण, फिनिशिंग प्रक्रिया तथा मशीनों के उन्नयन सहित जम्मू एवं कश्मीर हेतु ऊनी वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विभिन्न पहलुओं की परिकल्पना की गई थी । अत: इससे जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बुनकरों के ज्ञान आधार, कुशलता, मूलभूत तकनीकी निविष्टियों तथा विपणन अवसरों के संवर्धन द्वारा उनकी आय एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी । यह परियोजना 4.93 करोड़ रू. की कुल लागत से अनुमोदित की गई है । यह परियोजना राम बाग रेशम फैक्टरी, श्रीनगर में स्थापित की गई है ।

कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार द्वारा नामित जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम, जम्मू इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है ।

3.5 बुनकर सेवा केन्द्र, जम्मू एवं कश्मीर

श्रीनगर में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान एक बुनकर सेवा केन्द्र खोला गया है । यह केन्द्र राज्य सरकार के एक भवन में स्थित है और डिजाइन तथा नमूना विकास प्रशिक्षण आदि एवं केन्द्र के अन्य दैनिक कार्यकलाप करने के लिए सभी कर्मचारी विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा नियुक्त किए गए हैं । वेतन, कार्यालय व्यय, मशीनों/उपकरणों, कच्ची सामग्री आदि से संबंधित समग्र व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

डब्ल्यूएससी, श्रीनगर केवल 2007-08 के दौरान योजना के अंतर्गत जारी रहेगा । तत्पश्चात डब्ल्यूएससी, श्रीनगर से संबंधित समग्र व्यय की पूर्ति गैर-योजना से की जाएगी ।

3.6 केन्द्रीय क्षेत्र में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना, बारगढ़

हथकरघा क्षेत्र की तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए 11वीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में अपेक्षानुसार आईआईएचटी खोलने का प्रावधान किया

गया है । अगस्त, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उड़ीसा राज्य की यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप उक्त आईआईएचटी की स्थापना बारगढ़ (उड़ीसा) में की जा रही है । अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, आईआईएचटी की स्थापना की कुल लागत 13.05 करोड़ रू. और कर्मचारियों की कुल सं. 35 है ।

वित्तपोषण की पद्धति :- इस संघटक का संपूर्ण वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा और निधियों की जरूरत भवन निर्माण, वेतन, मजदूरी, छात्रवृत्ति/वजीफे, यात्रा व्यय, मशीनों और उपस्करों से संबंधित व्यय तथा कार्यालय व्यय की पूर्ति के लिए होगी ।

3.7 "तीसरी हथकरघा संगणना" और "हथकरघा बुनकरों को पहचान पत्र जारी करना"

3.7.1 पृष्ठभूमि:

इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को सही तरीके से अभिनिश्चित करने और हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ अधिक उपयोगी एवं कारगर योजनाओं के निरूपरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा दो संगणनाएं 1987-88 तथा 1995-96 में आयोजित की गई ।

हथकरघा बुनकरों की पहली संगणना 1987-88 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, जिसमें 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया था । इस संगणना का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र हेतु एक सुदृढ़ डाटाबेस का सृजन करना था । इस क्षेत्र से संबंधित अद्यतन जानकारी हासिल करने के लिए 1995-96 में यह प्रक्रिया दुहराने का निर्णय लिया गया, ताकि दो प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके; अर्थात (क) नियोजन के प्रयोजनार्थ सहायक सामग्री प्रदान करना और (ख) इस क्षेत्र से संबंधित पिछले तथा वर्तमान नीतिगत उपायों के प्रभाव का विहंगम अवलोकन करना । तद्नुसार वर्ष 1995-96 में दूसरी संगणना की गई । इस डाटाबेस ने अभिबल वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करके नीति निर्माताओं के लिए संबंधित नीतियों के निरूपण का कार्य सुगम बना दिया है ।

विभिन्न मंचों पर बार-बार यह महसूस किया गया है कि सरकार से विभिन्न प्रकार के लाभों का हथकरघा बुनकरों तक सीधे अंतरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें पहचान पत्र जारी करने के लिए बुनकरों तथा मास्टर बुनकरों की पहचान, पंजीयन तथा प्रमाणीकरण हेतु एक अभियान शुरू करने की जरूरत है ।

3.7.2 नई संगणना कराने की आवश्यकता तथा पहचान-पत्र जारी करना

पिछली संगणना लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व की गई थी । तब से इस क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं । बृहत स्तरीय सूचकों जैसे वास्तविक तथा वित्तीय रूप में कपड़े के उत्पादन एवं तत्संबंधी रोजगार ब्यौरे को ज्ञात करने के लिए उनके बीच संख्यात्मक संबंध स्थापित करने

के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में आए गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन बनाए जाने की जरूरत है । अत: हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ अधिक उपयोगी एवं कारगर योजनाओं के निरूपण हेतु इस क्षेत्र की जरूरतों को सही तरीके से अभिनिश्चित करना जरूरी है ।

हथकरघा बुनकरों को पहचान पत्र जारी करने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बुनकरों की प्रगति एवं निरंतर विकास हेतु इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सुविधाजनक रूप से केवल सही व्यक्तियों को प्राप्त हो ।

3.7.3 योजना की विशेषताएं

3.7.3 (क) कवरेज

यह संगणना समूचे देश के सभी बुनकरों को कवर करेगी । इन बुनकरों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे ।

3.7.3 (ख) पात्र एजेंसियां

केवल उन्हीं एजेंसियों को आवेदन करने की पात्रता है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की संगणना/इस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित करने का पूर्व अनुभव है ।

3.7.3 (ग) संगणना के विचारार्थ विषय

प्रस्तावित संगणना में बुनकरों/संबंधित कामगारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा शामिल की जाएगी । विशिष्ट विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

(i) देश भर में कार्यशील हथकरघों की संख्या पर जोर देते हुए पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक यूनिटों और हथकरघों की वास्तविक संख्या के बारे में डाटाबेस का सृजन करना ।
(ii) बुनकर इकाइयों की संगठनात्मक संरचना का अध्ययन करना ।
(iii) बुनकरों एवं संबंधित कामगारों सहित हथकरघा क्षेत्र की रोजगार संरचना का अध्ययन करना ।
(iv) हथकरघा बुनकरों की स्त्री-पुरूष वार, जाति वार तथा धर्मवार रूपरेखा तैयार करना ।
(v) हथकरघा कामगारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करना जिसमें प्रयुक्त धागे तथा उत्पादित कपड़े की मात्रा, प्रकार एवं मूल्य को शामिल किया जाए ।
(vi) कामगारों तथा करघों के संदर्भ में उत्पादकता ।
(vii) बुनाई तथा अन्य स्रोतों दोनों से बुनकर इकाइयों की आमदनी ।
(viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का विहंगम अवलोकन ।

(ix) राज्य स्तर पर हथकरघा क्षेत्र का विहंगावलोकन ।

(x) संगणना-प्रचालन के दौरान प्रगणित सभी बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करना ।

3.7.3 (घ) कार्यान्वयन एजेंसी का चयन

विकास आयुक्त, हथकरघा का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के लिए सक्षम संगठन का चयन "अभिरूचि का प्रदर्शन" आमंत्रित करने के बाद पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाएगा । मंत्रालय प्रतिष्ठित एवं अनुभवी विशेषज्ञ संस्थानों से दो बोली प्रणाली (i) तकनीकी तथा (ii) वित्तीय में अलग-अलग मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करेगा ।

3.7.3 (ङ) समय सीमा

संगणना प्रचालन की पूर्णता अवधि कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह होगी । संगणना प्रचालन के दौरान प्रगणित सभी बुनकरों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे ।

3.7.3 (च) वित्तपोषण पद्धति

संगणना तथा हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करने से संबंधित समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसी को धनराशि किस्तों में जारी की जाएगी ।

3.7.3 (छ) निगरानी

संगणना प्रचालन एवं हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करने की निगरानी एवं प्रगति की समीक्षा विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय द्वारा की जाएगी ।

<u>अनुबंध-I</u>

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई एच टी) की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु दिशा निर्देश

क. संबंधित राज्य सरकार भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु अपेक्षित भूमि तथा भवन नि:शुल्क उपलब्ध कराने और समस्त आवर्ती व्यय की पूर्ति के माध्यम से एक राज्य इकाई के रूप में इन्हें चलाने का वचन देगी । केन्द्रीय सहायता 4.28 करोड़ रूपए के कुल अनुदान तक सीमित होगी जैसा कि "विविधीकृत हथकरघा विकास योजना" के पैरा 3.1.4(क)(ख) में परिकल्पित है । निर्माण कार्य पूर्ण होने और संस्थान चलाने के लिए सहायक स्टाफ तैनाती हो जाने के बाद एकबारगी अनुदान को तीन किस्तों में निर्गत किया जाएगा और अधिक विस्तार आदि के लिए अपेक्षित अन्य कोई धनराशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

ख. स्टॉफ की आवश्यकता, वेतनमान तथा प्रावधान भर्ती नियम, सेवा शर्तें आदि वही होंगी, जो संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु लागू हैं । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।

ग. केन्द्रीय सरकार तकनीकी दिशा-निर्देश एवं सलाह प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी । तथापि, इस योजना की अवधारणा एवं कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होगी ।

घ. संस्थान की स्थापना हेतु अपेक्षित क्षेत्र/स्थान का ब्यौरा एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार होगा, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

ङ राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का लेखा विवरण उपलब्ध कराने का वचन देगी और संस्थान की शुरूआत की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक वार्षिक प्रगति रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगी ।

च. संस्थान विकास आयुक्त (हथकरघा) के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सेलम, वाराणसी, गुवाहाटी एवं जोधपुर स्थित संस्थानों के लिए साझा परीक्षा, पाठ्यक्रम टिप्पणियों एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा ।

छ. नवस्थापित संस्थान का एक प्रतिनिधि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के शासी निकाय का सदस्य होगा ।

ज. आईआईएचटी के शासी निकाय का निर्णय नए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों पर बाध्यकारी होगा ।

झ. अपेक्षित स्टाफ का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है ।

***

अनुबंध-I में उल्लिखित विवरण-I

क्र.सं.	श्रेणी एवं वेतनमान	पदों की संख्या
1.	प्राचार्य (निदेशक) (12000-16500 रूपए)	1
2.	वरिष्ठ व्याख्याता (वस्त्र रसायन) (8000-13500रूपए)	1
3.	वरिष्ठ व्याख्याता (वस्त्र प्रौद्योगिकी) (8000-13500रूपए)	1
4.	वरिष्ठ व्याख्याता (वस्त्र डिजाइन) (8000-13500रूपए)	1
	योग (क)	**4**
1.	लेखा अधिकारी (सहायक निदेशक-ग्रेड-II-एनटी) (6500-10500 रूपए)	1
2.	व्याख्याता-वीविंग (अनुदेशक-सह-प्रदर्शक) (5500-9000 रूपए)	1
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष (5500-9000 रूपए)	1
4.	व्याख्याता-टेक्सटाइल (सहायक मास्टर ग्रेड-1) (5500-8000 रूपए)	1
5.	प्राचार्य के वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक ग्रेड-II) (5000-8000 रूपए)	1
6.	व्याख्याता-वस्त्र रसायन (डाइंग सहायक) (4500-7000 रूपए)	1
7.	लेखाकार/सहायक (5000-8000 रूपए)	1
8.	प्रयोगशाला (तकनीकी सहायक) (4000-6000 रूपए)	1
9.	अनुदेशक - वीविंग (4000-6000 रूपए)	1
10.	अनुदेशक : प्रिंटर (4000-6000 रूपए)	1
11.	प्रयोगशाला तकनीशियन : वीविंग (मास्टर बुनकर) (4000-6000 रूपए)	1
12.	आशुलिपिक ग्रेड-III (4000-6000 रूपए)	1
13.	उच्च श्रेणी लिपिक	2

	(4000-6000 रूपए)	
14.	स्टोर कीपर (4000-6000 रूपए)	1
15.	अनुदेशक : प्रोसेसिंग (डाइंग मास्टर) (3050-4590 रूपए)	1
16.	प्रयोगशाला तकनीशियन : प्रोसेसिंग (डायर) (3050-4590 रूपए)	1
17.	प्रयोगशाला तकनीशियन : वीविंग (विशेषज्ञ बुनकर) (3050-4590 रूपए)	1
18.	अवर श्रेणी लिपिक (3050-4590 रूपए)	3
19.	ड्राइवर (3050-4590 रूपए)	1
20.	वार्पर (2650-4000 रूपए)	1
21.	प्रयोगशाला परिचर : वीविंग (2550-3200 रूपए)	3
22.	प्रयोगशाला तकनीशियन : प्रोसेसिंग (2550-3200 रूपए)	2
23.	परिचर (2550-3200 रूपए)	2
24.	चपरासी (2550-3200 रूपए)	1
	योग (ख)	**31**
	कुल योग (क+ख)	**35**

अनुबंध-I में उल्लिखित विवरण -II

संस्थान के भवन की अपेक्षाएं

(क)	**संस्थान क्षेत्र**	**तल क्षेत्र, वर्ग मीटर में**
(i)	कक्षाएं 60 वर्ग मीटर की दर से	240
(ii)	ट्यूटोरियल कक्षाएं 33 वर्ग मी.	33
(iii)	ड्राइंग हॉल 150 वर्ग मीटर की दर से	150
(iv)	प्रयोगशाला-एवं-कंप्यूटर प्रकोष्ठ	400
(v)	पुस्तकालय	150
(vi)	सभागार	540
(vii)	निदेशक का कक्ष	30
(viii)	स्वागत कार्यालय स्थान	15
(ix)	विभागाध्यक्ष का कक्ष	60
(x)	मुख्य कार्यालय	100
(xi)	भंडारगृह	100
(xii)	गर्ल्स कॉमन रूम	50
(xiii)	स्टाफ कॉमन रूम	50
(xiv)	स्टूडेंट्स कॉमन रूम	50
	उप योग (क)	**1968**
(ख)	**छात्रावार भवन**	
(i)	लड़कों का छात्रावास (36 डबल रूम)	540
(ii)	लड़कियों का छात्रावास (27 डबल रूम)	400
(iii)	भोजन कक्ष	150
(iv)	किचन कॉमन रूम	200
(v)	वार्डन आवास/कार्यालय (2)	200
(vi)	रसोई तथा मेस/स्टाफ (3)	180
(ग)	**अतिथि गृह**	**1670**
	कुल क्षेत्र (क+ख +ग)	**100**
	निर्माण लागत	**3738**
	2000/-रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्माण लागत (2000 रूपए x 3738 वर्ग मीटर)	74.76 लाख रू.
	16% विकास लागत	11.96 लाख रू.
	कुल	**86.72 लाख रू.**

<u>**अनुबंध-II**</u>

हथकरघा गहन क्षेत्र में बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना की इच्छुक राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु दिशा-निर्देश

1. संबंधित राज्य सरकार बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु अपेक्षित भूमि तथा भवन (भवनों को) नि:शुल्क उपलब्ध कराने और समस्त आवर्ती व्यय की पूर्ति के माध्यम से एक राज्य इकाई के रूप में इन्हें चलाने का वचन देगी । केन्द्रीय सहायता 2.08 करोड़ रूपए से अनधिक के आरंभिक निवेश तक सीमित होगी । अधिक विस्तार आदि के लिए अपेक्षित अन्य किसी धनराशि की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ।

2. स्टॉफ की भर्ती, वेतनमान का प्रावधान, भर्ती नियम, सेवा शर्तें आदि वही होंगी, जो संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु लागू है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।

3. केन्द्रीय सरकार कार्यान्वयन एजेंसी को तकनीकी दिशा-निर्देश एवं सलाह प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी । तथापि, इस योजना की अवधारणा एवं कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होगी ।

4. राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का लेखा विवरण उपलब्ध कराने का वचन देगी और केन्द्र की शुरूआत की तारीख से कम से कम 5 वर्ष तक वार्षिक प्रगति रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगी ।

5. गैर आवर्ती तथा वार्षिक आवर्ती व्यय सहित राज्य क्षेत्र में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना की कुल लागत का उल्लेख 3.1.4 (ख) के अंतर्गत किया गया है ।

6. राज्य क्षेत्र में प्रत्येक बुनकर सेवा केन्द्र की स्टाफिंग पद्धति विवरण-II में दर्शाई गई है ।

अनुबंध-II में संदर्भित विवरण-II

स्टॉफ पद्धति

	राजपत्रित अधिकारी	**पदों की संख्या**
1	उप निदेशक (वीविंग/डाइंग)	1
2	सहायक निदेशक (वीविंग)	1
3	सहायक निदेशक (डाइंग/प्रोसेसिंग)	1
	अराजपत्रित अधिकारी	
1.	अधीक्षक/उप अधीक्षक/लेखाकार	1
2.	आर्ट डिजाइनर	3
3.	तकनीकी अधीक्षक	1
4.	पैटर्न मेकर-सह-डिजाइनर	2
5.	वीवर ग्रेड-I	2
6.	वीवर ग्रेड-II	4
7.	वीविंग सहायक	1
8.	वार्पर	1
9.	व्यावसायिक परिचर	2
10.	तकनीकी सहायक (डाइंग)	1
11.	प्रयोगशाला सहायक/मास्टर डायर	1
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	1
13.	अवर श्रेणी लिपिक	1
14.	चपरासी	2
15.	चौकीदार	2
16.	सफाई कर्मचारी	1
	कुल	**29**